बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–8/आ०5–02/2026...../जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 432 दिनांक 31.12.2025 द्वारा श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बसंतपुर, सुपौल–सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बसंतपुर, सुपौल के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में दिनांक 31.12.2025 को आहूत बैठक में उपस्थित नहीं होने, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

तदालोक में निदेशालय के पत्रांक 103 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा श्रीमती अनिता कुमारी से बचाव अभिकथन की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा पत्रांक 48 दिनांक 22.01.2026 के द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्रीमती कुमारी द्वारा बचाव अभिकथन में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में अंकित है कि दिनांक 29.12.2025 से 31.12.2025 तक अपना इलाज कराने निमित्त आकस्मिक अवकाश का आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के ईमेल आई.डी. पर दिनांक 29.12.2025 को दी थी। साथ ही उन्हें दूरभाष के द्वारा भी सूचना दी थी। जिला कार्यालय को दिया गया। आकस्मिक अवकाश में रहने के कारण जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा आहूत बैठक में वो उपस्थित नहीं हो सकी तथा विभाग द्वारा दिये गए सभी योजनाओं को ससमय निष्पादित करती रही हूँ एवं मेरे द्वारा कभी भी उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना नहीं किया गया है। प्राप्त बचाव अभिकथन पर निदेशालय के पत्रांक 596 दिनांक 02.05.2026 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल से मंतव्य प्रतिवेदन की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 296 दिनांक 20.07.2026 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, बचाव अभिकथन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के अवकाश में रहने के कारण आहूत बैठक में उपस्थित नहीं हो सकी। आरोपी पदाधिकारी दिनांक 31.08.2026 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं।

अतः श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बसंतपुर, सुपौल –सम्प्रति–सेवानिवृत्त को उनके बचाव अभिकथन पर विचार करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है एवं मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह0/–
(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक 8/आ०5–02/2026.....1177..... पटना, दिनांक ....10/11/2026....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा–17), शिक्षा विभाग/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), सुपौल/श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बसंतपुर, सुपौल–सम्प्रति सेवानिवृत्त एवं आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा